



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला-सतना (मध्य०)

क्रमांक/216/एस.डब्लू/2020

सतना, दिनांक 28.04.2020

—: आदेश :-

मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 26.04.2020 द्वारा लॉक डाउन के कारण मध्यप्रदेश के अन्य प्रदेशों में फसे मजदूरों को वापस लाना एवं उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त कार्य शासन स्तर से अन्य राज्यों से समन्वय कर किया जा रहा है। सतना जिले में निम्नानुसार जिला स्तरीय प्रबंधन टीम गठित कर दायित्व सौंपा जाता है:-


विभिन्न राज्यों में सतना जिले के फसे मजदूरों से संपर्क हेतु राज्यवार नोडल अधिकारी

क्र.	राज्य का नाम (जहाँ सतना जिले के मजदूर फसे हुए हैं)	स्टेट नोडल अधिकारी का नाम एवं पद	मोबा.नंबर
1.	उत्तर प्रदेश	1. श्री मनीष कुमार, प्रबंधक, ग्राम सड़क इकाई क्र.1	8889900620
		2. श्री यू.एम. गुप्ता, प्रबंधक, ग्राम सड़क इकाई क्र. 2	9893153003
2.	गुजरात	1. श्री सुभाष पाटिल, कार्यपालन यंत्री पी.आई.यू.	9893803629
		2. श्री अनिल दुबे, कार्यपालन यंत्री बकिया बराज सतना	9617319833
3.	दिल्ली	1. श्री के०एल० अहिरवार, कार्य०यंत्री गृह निर्माण मण्डल	9406912298
		2. श्री रामानन्द सिंह, कार्य०यंत्री जल संसाधन	8319675280
4.	महाराष्ट्र	1. श्री नीरव दीक्षित, प्राचार्य, डाइट	9424374311
		2. श्री आर०के० कुछाह, जिला योजना अधिकारी	9827363250
5.	राजस्थान	1. श्री विद्याशंकर चतुर्वेदी, परि०अधि०, शहरी विकास अभि०	9425366727
		2. श्री वसीम खान, कार्यपालन यंत्री, बृज सतना	9424784262
6.	पंजाब, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर	1. श्री राजेन्द्र बागरें, सहा०संचालक महिला बाल विकास	9407278779
		2. श्री जी०पी० पाण्डेय, कृषि यंत्री	9827214858
7.	छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड	1. श्री ए०के० श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण	9425173153
		2. श्री सिद्धार्थ सिंह, सहा०संचा० मत्पद्योग	9179382828
8.	उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडू एवं केरल	1. श्री अश्वनी जायसवाल, कार्य०यंत्री ग्रा०या०से०	7987486601
		2. श्री बी०पी० सिंह, सहायक श्रमायुक्त	9131360016
9.	कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर पूर्व के राज्य एवं गोवा	1. श्री बी०के० विश्वकर्मा, कार्यपालन यंत्री, लो०नि०वि०	9425831264
		2. श्री पी०के० जड़िया, प्राचार्य पॉलीटेक्निक	9425376324

1. मो०प्र० भोपाल का कन्ट्रोल नंबर 0755-2527177 एवं 181 है, जिस नंबर पर समन्वय किया जायेगा।
2. उक्त अधिकारी संबंधित राज्य के नोडल/समन्वय अधिकारी से संपर्क स्थापित कर फसे हुए मजदूरों की पूरी जानकारी (नाम, पता एवं मोबाइल नंबर सहित) प्राप्त करेंगे।

3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अन्य प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्था करेंगे। अस्वस्थ पाये जाने वाले श्रमिकों को क्वारंटाइन की व्यवस्था जिले के चिन्हित स्थानों पर होगी। स्वस्थ पाये जाने वाले श्रमिकों को इन्ट्री प्वाइंट से उनके गन्तव्य स्थल तक पहुंचाने का कार्य संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा किया जायेगा।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के मागदर्शन में अन्य प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों के 14 दिवस क्वारंटाइन की नियमानुसार व्यवस्था करेंगे।


यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


 (अजय कटेसरिया)
 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
 जिला सतना (म0प्र0)

पृ0क्रमांक/ 216 /एस.डब्लू/2020
 प्रतिलिपि:-

सतना, दिनांक 28.04.2020

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, प्रभारी स्टेट कन्ट्रोल रूम म0प्र0 भोपाल।
5. आयुक्त रीवा संभाग रीवा।
6. पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा।
7. पुलिस उप महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा।
8. पुलिस अधीक्षक सतना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करावे, तथा समस्त थाना प्रभारियों को भी उक्त आदेश का पालन किये जाने हेतु निर्देशित किया जावे।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना।
10. आयुक्त नगर पालिक निगम सतना।
11. अपर जिला मजिस्ट्रेट सतना।
12. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना/सिविल सर्जन सतना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. अनुविभागीय अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट समस्त जिला सतना की ओर पालनार्थ।
15. सहायक संचालक सूचना एवं प्रकाशन सतना की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. संबंधित श्री की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
 जिला सतना (म0प्र0)